सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

संदर्भ: *हाल ही में, एमएसएमई मंत्रालय ने महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए सीजीटीएमएसई गारंटी कवरेज बढ़ा दी है।*

अवलोकन:

- महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत 90% ऋण गारंटी मिलेगी।
- इस योजना से महिला उद्यमियों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क में भी कमी आएगी।

सीजीटीएमएसई के बारे में

- **प्रारंभ** : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) द्वारा 2000 में प्रारंभ किया गया।
- **उद्देश्य** : सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह को उत्प्रेरित करना तथा वंचित वर्गों के लिए ऋण तक पहुंच को सुगम बनाना।
- **कार्यान्वयन** : सीजीटीएमएसई की स्थापना एमएसएमई मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा की गई थी।
- **वित्तपोषण** : इस कोष में भारत सरकार और सिडबी द्वारा 4:1 के अनुपात में योगदान दिया जाता है।

पात्र ऋणदाता संस्थाएँ

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक, निजी, विदेशी)।
- नाबार्ड द्वारा 'टिकाऊ व्यवहार्य' के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई), सिडबी, चुनिंदा लघु वित्त बैंक और एनबीएफसी।

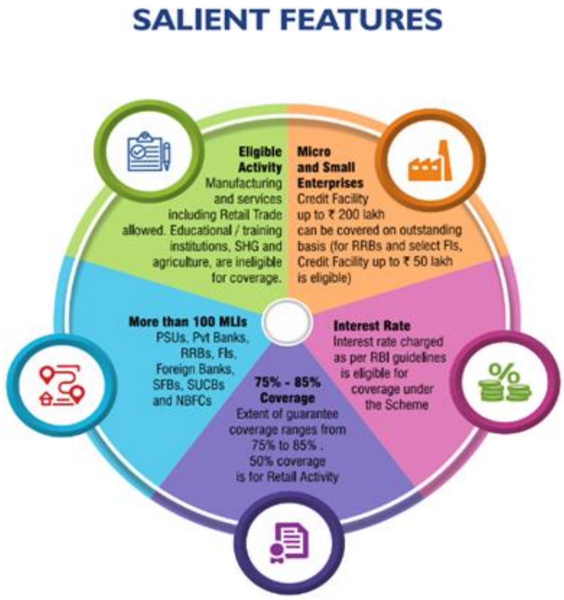

पात्र ऋण सुविधा

- **संपार्श्विक-मुक्त ऋण** : सदस्य ऋणदाता संस्थानों से एमएसई के लिए 5 करोड़ रुपये तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण ले सकते है।

गारंटी कवरेज

- **अति लघु उद्योग** :
  - 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 85%।
  - 5 लाख रुपये से 500 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 75%।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र** :
  - 50 लाख रुपये तक के ऋण पर 80%।
  - 50 लाख रुपये से अधिक के ऋण पर 75%।
- **एससी/एसटी उद्यमी, दिव्यांगजन, आकांक्षी जिले, जेडईडी प्रमाणित एमएसई, अग्निवीर** :
  - 85% गारंटी कवर
- **महिला स्वामित्व वाले उद्यम** :
  - 90% गारंटी कवर
- **अन्य उधारकर्ता** :
  - 75% गारंटी कवर

दावा निपटान

- चूक की स्थिति में, ट्रस्ट ऋणदाता संस्थान से चूक की गई राशि का 75% (या जहां लागू हो वहां 85%/80%) तक का दावा निपटाता है।

महिला उद्यमियों के लिए पहल

- **उन्नत ऋण गारंटी** : महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को अब सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत 90% ऋण गारंटी प्राप्त होगी।
- **सीजीटीएमएसई अनुमोदन** : सीजीटीएमएसई बोर्ड द्वारा अनुमोदित; इसमें महिला उद्यमियों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क में कमी शामिल है।
- **पिछला विस्तार** : इस योजना को दिसंबर 2022 में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई तक बढ़ा दिया गया था, शुरुआत में 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 85% क्रेडिट गारंटी प्रदान की गई, बाद में इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- **यशस्विनी अभियान** : सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, महिला उद्यमियों के लिए औपचारिकता, पंजीकरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में शुरू किया जाएगा।
- **उद्यम पंजीकरण** : 2023 में 1.06 करोड़ से बढ़कर 2024 में 5.07 करोड़ हो जाएगा, जिससे रोजगार के अवसरों के माध्यम से लगभग 21 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।

सरकार की अब तक की उपलब्धियां :

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 100 दिनों में 3,148 करोड़ रुपये के ऋण वितरण के साथ 26,426 नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए, जिससे लगभग 2.11 लाख लोगों को रोजगार मिला।
- इस पहल से लगभग 27 लाख महिला-नेतृत्व वाले एमएसएमई को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- **सरकार का लक्ष्य** : अगले दो वर्षों के भीतर एमएसई के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी उपलब्ध कराना है।

CO2-से-मेथनॉल

संदर्भ: *हाल ही में, डीएसटी के सचिव ने भारत के पहले CO2-से-मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला महाराष्ट्र के पुणे शहर में रखी है।*

अवलोकन:

- 1.4 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला यह संयंत्र कार्बन न्यूनीकरण और रूपांतरण प्रौद्योगिकी में अग्रणी है।

- यह परियोजना COP 26 में भारत की पंचामृत प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और स्थिरता प्राप्त करना है।
- नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय 15% मेथनॉल-मिश्रित डीजल के लिए नीति विकसित कर रहे हैं, जिससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी।

➢ CO_2-से-मेथनॉल रूपांतरण के बारे में

- **वर्तमान स्थिति** : CO2-टू-मेथनॉल जैसी कार्बन उपयोग प्रौद्योगिकियां कार्बन कैप्चर विधियों की तुलना में कम विकसित हैं।
- **प्रक्रिया** : CO_2 को औद्योगिक स्रोतों से या सीधे हवा से प्राप्त किया जाता है, फिर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनीकृत करके मेथनॉल का उत्पादन किया जाता है।
- **लाभ** : इस रूपांतरण से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी तथा एक टिकाऊ ईंधन स्रोत उपलब्ध होगा।
- **पुणे संयंत्र** : पुणे में CO2-से-मेथनॉल संयंत्र स्वदेशी कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाएगा, तथा भारत के पंचामृत लक्ष्यों का समर्थन करेगा।

➢ कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) के बारे में

- प्रौद्योगिकियों का एक समूह जो बड़े स्थिर स्रोतों, जैसे जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी) से CO2 को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **परिवहन और भंडारण** : संग्रहित CO_2 को पाइपलाइनों, शिपिंग, रेल या ट्रकों के माध्यम से स्थायी भंडारण के लिए उपयोग स्थलों या भूवैज्ञानिक संरचनाओं तक ले जाया जा सकता है।

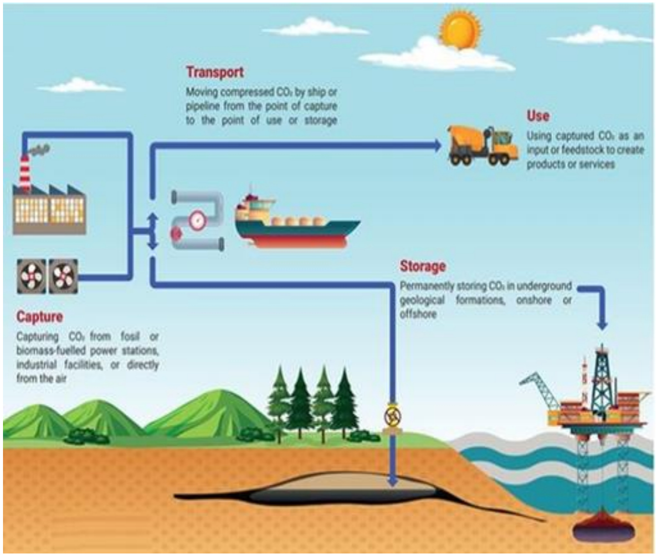

➢ सीसीयूएस का महत्व

- **डीकार्बोनाइजेशन** : सीमेंट और स्टील जैसे कठिन क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।
- **निम्न कार्बन हाइड्रोजन** : सीसीयूएस के साथ कोयला गैसीकरण की सुविधा प्रदान करता है।
- **शुद्ध शून्य लक्ष्य** : प्रत्यक्ष वायु कैप्चर प्रौद्योगिकी में प्रगति शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

➢ भारत में सीसीयूएस अपनाने से संबंधित समस्याएं

- **लागत भिन्नता** : कार्बन कैप्चर की लागत CO_2 के स्रोत और सांद्रता के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती है।
- **सीमित भंडारण क्षमता** : खारे जलभृतों और बेसाल्टिक भंडारण के लिए भूवैज्ञानिक डेटा के संबंध में चुनौतियां मौजूद हैं।
- **बुनियादी ढांचे का अभाव** : प्रभावी परिवहन और भंडारण के लिए डाउनस्ट्रीम CO2 बुनियादी ढांचे का अभाव है।

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022

संदर्भ: *हाल ही में, MoEFCC ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के उल्लंघन के लिए सख्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति दिशानिर्देश लागू किए हैं।*

➢ अवलोकन:

- बैटरी अपशिष्ट विनियमों का अनुपालन न करने तथा धातु-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्यों को पूरा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- सरकार ने अलग-अलग ईपीआर क्रेडिट लागत निर्धारित की है: लेड बैटरी के लिए 18 रुपये प्रति किलोग्राम और लिथियम के लिए 2,400 रुपये प्रति किलोग्राम।
- यह दृष्टिकोण पुनर्चक्रण जटिलता और पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्पादकों को उत्तरदायी बनाता है। ईपीआर लक्ष्य उत्पादकों को निपटान और पुनर्चक्रण सहित अपने उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र का प्रबंधन करने के लिए बाध्य करता है।

➢ बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा दायित्वों की पूर्ति न करने पर पर्यावरण (संरक्षण)-ईपी अधिनियम, 1986 की धारा 15 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  - ई.पी. अधिनियम, 1986 के तहत दंडात्मक कार्रवाइयों में वर्तमान में 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या/और 7 वर्ष तक की जेल की सजा शामिल है, साथ ही बार-बार उल्लंघन करने पर अतिरिक्त जुर्माना और विस्तारित कारावास का प्रावधान भी है।
- **कवरेज** : इलेक्ट्रिक वाहन, पोर्टेबल, ऑटोमोटिव और औद्योगिक बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरी पर लागू होता है।
- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)** : उत्पादकों को अपशिष्ट बैटरियों को एकत्रित करना और उनका पुनर्चक्रण करना होगा तथा उन्हें लैंडफिल में नहीं फेंकना होगा या जलाना नहीं होगा।
- **संग्रहण एवं पुनर्चक्रण** : उत्पादक या तो ईपीआर दायित्वों को स्वयं संभाल सकते हैं या संग्रहण, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण के लिए अन्य संस्थाओं को अधिकृत कर सकते हैं।

- **ऑनलाइन पोर्टल** : एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकों और पुनर्चक्रकों के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा।
- **ऑनलाइन पंजीकरण** : उत्पादकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, रिपोर्ट करना होगा तथा लेखापरीक्षा और निगरानी प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा।
- **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत** : ईपीआर लक्ष्यों और दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाती है।
- **पुनर्प्राप्ति लक्ष्य** : 2024-25 तक 70%, 2026 तक 80% तथा 2026-27 के पश्चात 90% की भौतिक पुनर्प्राप्ति का लक्ष्य है।
- **पर्यावरण क्षतिपूर्ति निधि** : जुर्माने से एकत्रित धनराशि का उपयोग एकत्रित न की गई और गैर-पुनर्नवीनीकृत बैटरियों के संग्रहण, नवीनीकरण और पुनर्चक्रण के लिए किया जाएगा।

➢ **पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) क्या है?**

- 2022 के नियम सीपीसीबी को गैर-अनुपालन के लिए अपशिष्ट बैटरियों के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण में शामिल उत्पादकों और संस्थाओं से पर्यावरणीय कर लगाने और वसूलने का अधिकार देते हैं।
- **प्रयोज्यता** : प्रदूषणकारी भुगतान सिद्धांत का पालन करते हुए, पंजीकरण के बिना काम करने वाली या गलत जानकारी देने वाली संस्थाओं पर भी पर्यावरण कर लगाया जा सकता है।
- **ईपीआर जिम्मेदारियाँ** : अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए उत्पादक जिम्मेदार हैं। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्यों को पूरा न करने पर ईसी लगेगा, लेकिन ईपीआर दायित्वों से मुक्ति नहीं मिलेगी। अधूरे ईपीआर दायित्वों को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

विवरण	**बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022**	**बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024**
ईपीआर प्रमाणपत्र प्रावधान	पुनर्चक्रित/नवीनीकृत मात्रा के आधार पर सीपीसीबी द्वारा एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तैयार किए गए ईपीआर प्रमाण पत्र; पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपे गए।	वही प्रक्रिया; सीपीसीबी ईपीआर प्रमाणपत्रों का प्रबंधन जारी रखता है।
ईपीआर प्रमाणपत्रों का व्यापार	पुनर्चक्रणकर्ता अपशिष्ट बैटरियों के लिए उत्पादकों को निर्दिष्ट EPR प्रमाणपत्र बेच सकते हैं।	वही व्यापारिक प्रावधान जारी रहेंगे।
ईपीआर प्रमाणपत्रों के लिए मूल्य निर्धारण	सीपीसीबी ईपीआर प्रमाणपत्रों के लिए उच्चतम (पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 100%) और न्यूनतम (पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 30%) मूल्य निर्धारित करता है।	कीमतें वही रहेंगी जो सीपीसीबी द्वारा निर्धारित की गई हैं।
उल्लंघन पर कार्रवाई	सीपीसीबी द्वारा कार्यान्वयन समिति गैर-अनुपालन करने वाले उत्पादकों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और वसूलने के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करेगी।	सीपीसीबी अब कार्यान्वयन समिति से संभावित परामर्श के साथ सीधे दिशानिर्देश तैयार करता है और सिफारिश करता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

पीएम-आशा योजना

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी।

पीएम-आशा के बारे में:

- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों का समर्थन करना और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना है।
- यह सितंबर 2018 में घोषित भारत सरकार की एक व्यापक योजना है।
- इस योजना के तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के राष्ट्रीय उत्पादन का 25% खरीदेगी।
- मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) जमाखोरी और सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए दालों और प्याज के बफर स्टॉक को बनाए रखेगा।
- तिलहन के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अलावा मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) की पेशकश की जाएगी।
- पीएम-आशा के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 1500 करोड़ रुपये है। 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपये।

विश्व खाद्य भारत

विश्व खाद्य भारत का तीसरा संस्करण 19-22 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा।

विश्व खाद्य भारत के बारे में:

- विश्व खाद्य भारत (WFI) एक वैश्विक कार्यक्रम है जो भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रदर्शित करने और इसमें निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और संबद्ध क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाता है।
- इसका आयोजन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना है।
- यह खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, प्रौद्योगिकी और उपकरण निर्माताओं, लॉजिस्टिक्स खिलाड़ियों, कोल्ड चेन ऑपरेटरों और खाद्य खुदरा विक्रेताओं के लिए सहयोग और निवेश के अवसर प्रदान करता है।
- इस कार्यक्रम में 90 से अधिक देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 18 केंद्रीय मंत्रालय भाग लेंगे।
- जापान भागीदार देश होगा और वियतनाम तथा ईरान फोकस देशों के रूप में भाग लेंगे।

समाचार में व्यक्तित्व
पेरियार
इरोड वेंकटप्पा रामासामी

हाल ही में, पेरियार इरोड वेंकटप्पा रामासामी को उनकी 146वीं जयंती पर याद किया गया।

पेरियार इरोड वेंकटप्पा रामासामी (17 सितंबर 1879 - 24 दिसंबर 1973):

पेरियार इरोड वेंकटप्पा रामासामी, एक प्रख्यात समाज सुधारक और तर्कवादी थे, जिनका जन्म इरोड में कन्नड़ बलिजा व्यापारी परिवार में हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसीडेंसी के कोयंबटूर जिले का हिस्सा था।

योगदान:

- पेरियार ने निचली जातियों में गौरव को बढ़ावा देने और जाति और लैंगिक असमानताओं को चुनौती देने के लिए 1925 में आत्म-सम्मान आंदोलन की स्थापना की।
- उन्होंने द्रविड़ कारणों को आगे बढ़ाने और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए द्रविड़ कझगम की स्थापना की।
- द्रविड़ पहचान और अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें 'द्रविड़ आंदोलन का जनक' माना जाता है।
- वे 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन 1925 में पार्टी की ब्राह्मण-केंद्रित नीतियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
- 1939 में, वे जस्टिस पार्टी के प्रमुख बने, जिसका नाम उन्होंने 1944 में बदलकर द्रविड़ कझगम कर दिया।
- पेरियार ने 1924 के वैकोम सत्याग्रह में भाग लिया, जो त्रावणकोर में दलितों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देने के उद्देश्य से एक अहिंसक संघर्ष था।

समाचार में स्थान
म्यांमार

हाल ही में, केंद्र सरकार ने म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए ₹31,000 करोड़ की मंजूरी दी है।

म्यांमार (राजधानी: नेपीडॉ)

स्थान: म्यांमार, जिसे बर्मा (1989 तक आधिकारिक नाम) के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है।

सीमाएँ: म्यांमार की सीमाएँ लाओस (पूर्व), बांग्लादेश और भारत (उत्तर-पश्चिम), चीन (उत्तर-पूर्व), थाईलैंड (दक्षिण-पूर्व), अंडमान सागर (दक्षिण) और बंगाल की खाड़ी (दक्षिण-पश्चिम) से मिलती हैं।

भौतिक विशेषताएँ:

- म्यांमार का सबसे ऊँचा स्थान हकाकाबो रज़ी है, जो देश के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है।
- म्यांमार की प्रमुख नदियों में इरावदी (अय्यरवाडी), सालवीन (थानल्विन) और चाओ फ्राया शामिल हैं।
- म्यांमार खनिजों से समृद्ध है, जिसमें माणिक, नीलम, सोना, चाँदी, टिन, टंगस्टन, तांबा और प्राकृतिक गैस शामिल हैं।
- म्यांमार में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है।

सदस्यता: म्यांमार कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र (यूएन), दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) (पर्यवेक्षक का दर्जा), विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) शामिल हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

POINTS TO PONDER

- किस मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में ट्रेडमार्क खोज और आईपी सारथी चैट बॉट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लॉन्च किया? – **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
- हाल ही में सारागढ़ी की लड़ाई की 127वीं वर्षगांठ किस तारीख को मनाई गई? – **12 सितंबर**
- हाल ही में भारत के कई राज्यों में आदिवासी आबादी द्वारा कौन सा फसल उत्सव मनाया गया? – **कर्मा या करम पर्व**
- भारतीय नौसेना के किस मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) ने, यू.एस. के जनरल एटॉमिक्स से लीज़ पर, हाल ही में तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई के समुद्र में नियंत्रित रूप से उतरकर लैंडिंग की?

  – **एमक्यू-9ए**
- पहली बार, एक चीनी विमानवाहक पोत ताइवान के पास किन दो जापानी द्वीपों के बीच रवाना हुआ? – **मियाको और ओकिनावा**

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com